

सुमन वर्मा

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

24 सितम्बर, 2004

(अरिजीत पसायत एवं सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति गण)

सेवा विधि :

नियुक्ति—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल (ई.डी.बी.पी.एम.)—योग्यता : (i) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा (ii) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को कृषि भूमि का स्वामित्व होना—एक अभ्यर्थी ने मैट्रिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए थे और उसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की तुलना में अधिक अंक प्राप्त थे—उक्त अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को कृषि भूमि भी थी—किन्तु राजस्व अभिलेख में परिवर्तन प्रविष्टि केवल 10 दिन बाद की जा सकी—तथापि उक्त अभ्यर्थी को ई.डी.बी.पी.एम. के पद पर नियुक्त नहीं किया गया—किन्तु सी.ए.टी. ने उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश दिया—उच्च न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि की—सही होने का प्रश्न—निर्णीत : कृषि भूमि का स्वामित्व होना और उसका राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट होना दो भिन्न एवं पृथक बातें हैं—उक्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व ही कृषि भूमि की स्वामिनी बन चुकी थी और, अतः वह पात्र थी—इसके अतिरिक्त, वह नियुक्त ई.डी.बी.पी.एम. से अधिक मेधा वाली थी क्योंकि उसने अधिक अंक प्राप्त किए थे—अतः प्राधिकारियों द्वारा उक्त अभ्यर्थी के मामले की उपेक्षा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करना उचित नहीं था—अतः सी.ए.टी. और उच्च न्यायालय के निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

नियुक्ति—अवैध नियुक्ति—निरस्तीकरण—एक कर्मचारी लगभग 8 वर्षों तक पद पर कार्यरत रहा—प्रभाव—एक पीड़ित अभ्यर्थी ने अन्य कर्मचारी के पक्ष में आदेश पारित होने के तुरंत बाद सक्षम अधिकरण का दरवाजा खटखटाया—अधिकरण के समक्ष वाद लंबित रहने के कारण उक्त अभ्यर्थी अपने मामले का निर्णय प्राप्त नहीं कर सका और अंततः वाद का निर्णय हुआ—निर्णीत : अन्य कर्मचारी के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है यदि वह अन्यथा पात्र हो—किन्तु वाद के निस्तारण में हुई देरी से उस पीड़ित अभ्यर्थी को कोई

हानि नहीं पहुँचाई जा सकती जिसने समय पर अधिकरण का रुख किया था—अतः सी.ए.टी. और उच्च न्यायालय ने अन्य कर्मचारी की नियुक्ति को निरस्त कर सही किया तथा पीड़ित अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश दिया।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 :

धारा 35—सार्वजनिक अभिलेख में प्रविष्टि—राजस्व अभिलेखों में नामांतरण प्रविष्टि—संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व—निर्णीत : यह संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व प्रदान नहीं करती—भूमि का स्वामित्व होना और उसका राजस्व अभिलेखों में अंकन, दोनों अलग-अलग और पृथक बातें हैं—नामांतरण प्रविष्टि न तो अधिकार या स्वामित्व उत्पन्न करती है और न ही उसे समाप्त करती है।

अपीलकर्ता को अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल (ई.डी.बी.पी.एम.) के पद पर नियुक्त किया गया था। ई.डी.बी.पी.एम. के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता थी कि अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को कृषि भूमि का स्वामी हो। अपीलकर्ता ने दोनों योग्यताएँ पूरी की थीं और, अतः उसे उक्त पद पर नियुक्त किया गया तथा वह लगभग 8 वर्षों तक उस पद पर कार्यरत रही।

किन्तु, उत्तरदाता संख्या 6 ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उसने मैट्रिक परीक्षा में अपीलकर्ता से अधिक अंक प्राप्त किए थे। अपीलकर्ता ने यह भी प्रतिवेदन किया कि वह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व ही उपहार विलेख के आधार पर कृषि भूमि की स्वामिनी बन गई थी, किन्तु नामांतरण प्रविष्टि केवल 10 दिन बाद की जा सकी। सी.ए.टी. ने आवेदन स्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि की। अतः यह अपील।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. जब उत्तरदाता संख्या 6 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व उपहार विलेख के आधार पर संपत्ति की स्वामिनी बन गई थी, तब उसे कृषि भूमि का स्वामी माना जा सकता था और, अतः वह पात्र थी। कृषि भूमि का स्वामित्व होना और उसका राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होना, दोनों भिन्न एवं पृथक बातें हैं। नामांतरण प्रविष्टि संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व प्रदान नहीं करती। नामांतरण प्रविष्टि न

तो अधिकार या स्वामित्व उत्पन्न करती है और न ही उसे समाप्त करती है। [655-सी-डी]

रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] पूरक 3 एस.सी.सी. 168 तथा सावरनी बनाम इंदर कौर, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2823, अवलम्बन।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) तथा उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सही थे कि यद्यपि उत्तरदाता संख्या 6 कृषि भूमि की स्वामिनी होने के कारण पात्र थी, तथापि प्राधिकारियों द्वारा उसके मामले की उपेक्षा की गई और इस प्रकार उनकी कार्रवाई अवैध एवं अनुचित थी। इस तथ्य के आलोक में कि उत्तरदाता संख्या 6 अधिक मेधावी थी, क्योंकि उसने मैट्रिक परीक्षा में अपीलकर्ता से अधिक अंक प्राप्त किए थे, सी.ए.टी. द्वारा उसकी नियुक्ति का निर्देश अवैध या विधि-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त निर्देश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। [655-ई-एफ]

रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] पूरक 3 एस.सी.सी. 168, अवलम्बन।

3. सेवा में लगभग आठ वर्षों तक अपीलकर्ता की नियुक्ति एवं निरंतरता के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाता संख्या 6 ने अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित होने के तुरंत बाद अपनी शिकायत के निवारण हेतु सक्षम अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। अधिकरण के समक्ष वाद लंबित रहने के कारण उत्तरदाता संख्या 6 अपने मामले का निर्णय प्राप्त नहीं कर सकी और अंततः वाद का निस्तारण हुआ। अतः उत्तरदाता संख्या 6 इस बात को कहने में सही है कि उक्त तथ्य उसके विरुद्ध पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनना चाहिए, जिसने समय पर अधिकरण का रुख किया था। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) ने पूरे मामले पर विचार करते हुए यह सही रूप से अभिमत दिया कि अपीलकर्ता के मामले पर इस रूप में विचार किया जाए कि उसे, यदि वह अन्यथा पात्र हो, निकटवर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल (ई.डी.बी.पी.एम.) के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। [656-बी-डी]

रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, [1993] पूरक 3 एस.सी.सी. 168, अप्रयोज्य माना गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2004 की दीवानी अपील संख्या 6275

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4106/2004 में दिनांक 02.04.2004 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

एन. एन. गोस्वामी, सुश्री इंदु गोस्वामी, अपीलकर्ता की ओर से।

हरीश चन्द्र, वी. के. वर्मा, विजय पंवानी, अमित पवन, अमित कुमार तथा श्रीकांत एन. तेरदल, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **ठक्कर, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया : अनुमति प्रदान की गई।

वर्तमान अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4106 / 2004 में दिनांक 02 अप्रैल, 2004 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ("सी.ए.टी." संक्षेप में), पटना पीठ, पटना द्वारा मूल आवेदन संख्या 307 / 1997 में दिनांक 09 मार्च, 2004 को पारित आदेश की पुष्टि की।

यहाँ अपीलकर्ता का मामला यह है कि उसने वर्ष 1983 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में 900 में से 531 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की। उसने वर्ष 1988 में मुजफ्फरपुर से बी.ए. (प्रतिष्ठा) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। वर्ष 1996 में उसका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हुआ। उसके पास 10 कठ्ठा कृषि भूमि थी, जिसे उसने 01 मार्च, 1995 को द्वारका प्रसाद से पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया था। उसके पास गाँव खजुहाठी में एक आवासीय मकान भी था।

अपीलकर्ता के अनुसार, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल (संक्षेप में "ई.डी.बी.पी.एम.") का एक पद, खजुहाठी डाकघर, प्रखंड मंड़ी में उस समय रिक्त हुआ जब वहाँ के ई.डी.बी.पी.एम. को पदोन्नति मिल गई। अतः उक्त रिक्ति को भरने के लिए अधिसूचना जारी की गई और योग्य अभ्यर्थियों के नाम क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, छपरा से दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 के पत्र द्वारा मांगे गए। अपीलकर्ता के अनुसार, रोजगार कार्यालय द्वारा नौ नाम भेजे गए। अपीलकर्ता को पात्र, योग्य एवं सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। फलतः, उसे दिनांक 13 दिसंबर, 1996 के आदेश द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किया गया। तब से वह खजुहाठी में ई.डी.बी.पी.एम. के रूप में कार्यरत है।

अपीलकर्ता का कहना है कि यद्यपि उत्तरदाता संख्या 6 न तो पात्र थी और न ही

ई.डी.बी.पी.एम. पद हेतु योग्य, फिर भी वह अपीलकर्ता की नियुक्ति से असंतुष्ट थी और प्राधिकारियों की कार्रवाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) के समक्ष मूल आवेदन दायर कर अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती दी। सी.ए.टी. के समक्ष उत्तरदाता संख्या 6 ने यह प्रतिपादित किया कि वह पात्र एवं योग्य होने के साथ-साथ अधिक मेधावी थी, क्योंकि उसने मैट्रिक परीक्षा में 900 में से 584 अंक प्राप्त किए थे, जबकि अपीलकर्ता ने 531 अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उसे नियुक्त नहीं किया गया। यह भी उसका मामला था कि उसके पास आवश्यकतानुसार कृषि भूमि थी और उसका प्रमाण भी उसने प्रस्तुत किया था। अतः प्राधिकारियों का दायित्व था कि वे उसके मामले पर विचार करते और उसे अपीलकर्ता के स्थान पर वरीयता देते।

प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) ने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात याचिका को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण के समक्ष आवेदक (यहाँ उत्तरदाता संख्या 6) के मामले को तुच्छ आधारों पर, प्रत्याशी उम्मीदवारों की योग्यता की उपेक्षा करते हुए, अनदेखा कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 के आदेश को अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा उत्तरदाता संख्या 6 (अधिकरण के समक्ष आवेदक) की तत्काल नियुक्ति का निर्देश दिया गया। अधिकरण ने यह भी अभिलक्षित किया कि चूँकि उत्तरदाता संख्या 6 (यहाँ अपीलकर्ता) कई वर्षों से मूल आवेदन के निस्तारण में विलंब के कारण कार्यरत थी, अतः प्राधिकारियों को यह विचार करने का निर्देश दिया गया कि यदि और जब रिक्ति उत्पन्न हो, तो उसे "उसी क्षेत्र में" नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वह नियुक्ति हेतु अन्यथा उपयुक्त एवं पात्र हो।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। तथापि, उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निर्णय की पुष्टि करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध, अपीलकर्ता ने तत्पश्चात इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोसवामी ने जोर देकर यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 6 न तो पात्र थी और न ही ई.डी.बी.पी.एम. के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य थी, अतः उसे प्राधिकारियों द्वारा सही रूप से अनदेखा किया गया। न्यायालय का ध्यान प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना की ओर आकर्षित करते हुए, अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि यह अनिवार्य था कि अभ्यर्थी के नाम पर पर्याप्त अचल संपत्ति होनी चाहिए तथा उसे ऐसी संपत्ति

के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था। वर्तमान मामले में, उत्तरदाता संख्या 6 के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी और इस तथ्य पर प्राधिकारियों द्वारा समुचित दृष्टिकोण से विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वह पात्र नहीं थी। अधिकरण को ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और न ही उसे प्राधिकारियों को उसकी नियुक्ति का निर्देश देना चाहिए था। अतः उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया कि मैट्रिक परीक्षा में दो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अधिकरण द्वारा ध्यान में रखा जाना पूर्णतः अप्रासंगिक एवं बाह्य कारक था। अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता केवल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना थी, न कि उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक। एक बार जब कोई अभ्यर्थी पात्र हो जाता है, तो उसके मामले पर विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं मानकों के अनुसार विचार किया जाना अपेक्षित है और किसी एक को दूसरे पर कोई "प्राथमिकता" नहीं दी जा सकती। अतः इस तथ्य को प्राधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए था और इस आधार पर लिया गया निर्णय भी विधि-संगत नहीं है। यह भी प्रतिपादित किया गया कि अधिकरण द्वारा उत्तरदाता संख्या 6 की "नियुक्ति" का निर्देश दिया गया था, जो विधि-सम्मत नहीं था। भले ही अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि प्राधिकारियों की कार्रवाई विधि के अनुरूप नहीं थी, तब भी वह ऐसा निर्देश नहीं दे सकता था। अधिकतम जो सीमित निर्देश दिया जा सकता था, वह यह था कि प्राधिकारियों के निर्णय को निरस्त कर मामले पर विधि के अनुसार पुनर्विचार किया जाए। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को प्राधिकारियों द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया था और उसे वर्ष 1996 में ही नियुक्त कर दिया गया था। लगभग आठ वर्ष बीत चुके हैं और वह ई.डी.बी.पी.एम. के रूप में कार्य कर रही है। इस अवस्था में यदि उसकी नियुक्ति निरस्त की जाती है, तो उसे गंभीर क्षति होगी। अतः यह आग्रह किया गया कि भले ही यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राधिकारियों की कार्रवाई विधिसम्मत नहीं थी, तथापि प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलकर्ता की नियुक्ति निरस्त नहीं की जानी चाहिए।

श्री हरिश चन्द्र, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के पक्ष का समर्थन किया। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकारियों ने अधिकरण के निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी थी।

दूसरी ओर, उत्तरदाता संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित पवन ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा

की गई थी। यह प्रतिपादित किया गया कि उत्तरदाता संख्या 6 पात्र एवं योग्य थी। उसके पास अधिसूचना की अपेक्षाओं के अनुसार कृषि भूमि थी। डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 6 ने उसमें निहित सभी शर्तों को पूर्ण किया था। वह गाँव की स्थायी निवासी थी। उसने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी तथा वर्तमान अपीलकर्ता की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए थे। उसके पास स्वतंत्र आजीविका स्रोत से पर्याप्त आय थी और आवश्यक प्रमाणपत्र भी उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यह भी कहा गया कि दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 के उपहार-विलेख के आधार पर वह कृषि भूमि की स्वामिनी बनी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर, 1996 थी। उत्तरदाता संख्या 6 दिनांक 29 अक्टूबर, 1996 को ही कृषि भूमि की स्वामिनी बन गई थी, अर्थात् आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व। यद्यपि नामांतरण प्रविष्टि 22 नवम्बर, 1996 को की जा सकी, तथापि यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता संख्या 6 आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व ही अचल संपत्ति की स्वामिनी बन चुकी थी और प्रविष्टि बाद में की जा सकती थी। केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदन की अंतिम तिथि को उसके पास कृषि भूमि नहीं थी। भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि महत्वहीन है। अतः प्राधिकारियों द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था तथा अधिकरण द्वारा प्राधिकारियों की कार्रवाई को निरस्त कर उत्तरदाता संख्या 6 की नियुक्ति का निर्देश देना अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वह अधिक मेधा वाली थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी, अतः उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक भी निस्संदेह प्रासंगिक होंगे, और अधिकरण ने उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों पर भरोसा करते हुए सही कार्य किया। अतः उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया। उत्तरदाता संख्या 6 ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तुरंत पश्चात केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, किन्तु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा मामले के अंतिम निस्तारण में समय लगा, जो उत्तरदाता संख्या 6 को उपयुक्त राहत प्रदान करने में बाधक नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता के हितों को समायोजित करने हेतु अधिकरण द्वारा उपयुक्त टिप्पणियाँ की गई हैं, यदि ऐसा संभव हो। अतः अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, हमारा मत है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिया गया तथा उच्च न्यायालय

द्वारा पुष्टि किया गया निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता। अधिसूचना एवं उसमें निहित शर्तों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता तथा उत्तरदाता संख्या 6 दोनों ही पात्र थे। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न है, दोनों ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अधिसूचना का खंड घ के अनुसार अभ्यर्थी के लिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि उच्च योग्यता को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि प्राधिकारियों को केवल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के तथ्य पर विचार करना था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने 900 अंकों में से 531 अंक प्राप्त किए थे, जबकि उत्तरदाता संख्या 6 ने 584 अंक प्राप्त किए थे। अतः मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तरदाता संख्या 6 अधिक मेधावी थी। इस स्तर पर यह विभाग का मामला भी नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 6 के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का अभाव था।

प्राधिकारियों द्वारा जिस आधार पर विचार किया गया, वह यह था कि अपीलकर्ता के नाम पर कृषि भूमि थी, जबकि उत्तरदाता संख्या 6 के पास कृषि भूमि नहीं थी, अतः वह अपात्र थी। अब यह उत्तरदाता संख्या 6 का मामला है कि वह दिनांक 14 अक्टूबर, 1996 के उपहार-विलेख के आधार पर, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व, कृषि भूमि की स्वामिनी बन गई थी। नामांतरण प्रविष्टि 12 नवम्बर, 1996 से पूर्व नहीं हो सकी और यह 22 नवम्बर, 1996 को की गई। हमारे मत में, इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर उत्तरदाता संख्या 6 के पास कृषि भूमि नहीं थी, और न ही यह कहा जा सकता है कि वह अपात्र थी।

इस संदर्भ में, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हमारा ध्यान *रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय*, [1993] पूरक 3 एस.सी.सी. 168, के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया। उस प्रकरण में सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं के साथ विज्ञापन/अधिसूचना जारी की गई थी। कुछ अभ्यर्थियों के पास उस समय अपेक्षित योग्यता नहीं थी, किन्तु उन्होंने बाद में वह योग्यता प्राप्त कर ली। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र एवं योग्य माना जा सकता है। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभ्यर्थी को विज्ञापित पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि या अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि पर ही आवश्यक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। उस तिथि के पश्चात प्राप्त की गई योग्यता को उस पद के लिए योग्यता नहीं माना जा सकता तथा ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

इस न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में से एक इस प्रकार है:—

“(ख) चयनित अभ्यर्थियों के पास संबंधित पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि या इस उद्देश्य के लिए विज्ञापन/अधिसूचना में विशेष रूप से निर्दिष्ट तिथि पर आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित योग्यताओं को विचार में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मनमाना होगा और भेदभाव का कारण बनेगा। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि जब विज्ञापन/अधिसूचना यह अपेक्षा करती है कि अभ्यर्थी के पास संबंधित योग्यता होनी चाहिए, चाहे वह आवेदन की अंतिम तिथि के संदर्भ में हो या इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट तिथि के संदर्भ में, तब जिनके पास उस समय ऐसी योग्यता नहीं है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं होंगे, भले ही उनके द्वारा बाद में वह योग्यता प्राप्त कर ली जाए। ऐसी परिस्थितियों में, अनेक ऐसे व्यक्ति, जो अन्यथा विचारार्थ पात्र होते और संभवतः आवेदन करने वालों से बेहतर भी होते, वैध शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें विचार से वंचित कर दिया जाता है।”

(विशेष बल दिया गया)

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 6 का नाम दिनांक 22 नवम्बर, 1996 को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट किया गया और वही प्रासंगिक तिथि है, जबकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर, 1996 थी। अतः रेखा चतुर्वेदी में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण पर लागू होता है और चूँकि उत्तरदाता संख्या 6 पात्र नहीं थी, उसका मामला विचारणीय नहीं था।

तथापि, हमारे विचार में, उत्तरदाता संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह सही रूप से प्रस्तुत किया है कि वह अक्टूबर, 1996 में ही कृषि भूमि की स्वामिनी बन गई थी। विचारार्थ प्रासंगिक तिथि 12 नवम्बर, 1996 थी और उस तिथि से पूर्व ही वह उक्त संपत्ति की स्वामिनी थी। हमारे मत में, रेखा चतुर्वेदी का निर्णय अपीलकर्ता के बजाय उत्तरदाता संख्या 6 के पक्ष का समर्थन करता है। जब उत्तरदाता संख्या 6 आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व, अर्थात् अक्टूबर, 1996 में संपत्ति की स्वामिनी बन गई थी, तो उसे कृषि भूमि का धारक माना जा सकता है और इस प्रकार वह पात्र थी। हमारे मत में, कृषि भूमि का

स्वामित्व होना और राजस्व अभिलेखों में नाम का प्रविष्ट होना दो भिन्न एवं स्वतंत्र बातें हैं। नामांतरण प्रविष्टि से संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, तथापि हमारे मत में अधिकरण ने इस न्यायालय के निर्णय *सावरनी बनाम इन्दर कौर एवं अन्य*, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2823, पर भरोसा करते हुए सही किया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि नामांतरण प्रविष्टि न तो स्वामित्व उत्पन्न करती है और न ही उसे समाप्त करती है।

स्थापित विधिक स्थिति के आलोक में, हमारे मत में, अधिकरण तथा उच्च न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सही थे कि यद्यपि उत्तरदाता संख्या 6 कृषि भूमि की स्वामिनी होने के कारण पात्र थी, तथापि प्राधिकारियों द्वारा उसके मामले की उपेक्षा की गई और इस प्रकार उनकी कार्रवाई अवैध एवं अनुचित थी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उत्तरदाता संख्या 6 अपीलकर्ता की अपेक्षा अधिक मेधावी थी, क्योंकि उसने अधिक अंक प्राप्त किए थे, अधिकरण द्वारा उसकी नियुक्ति का दिया गया निर्देश अवैध या विधि-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अधिकरण ने दिनांक 10 मई, 1991 के कार्यकारी आदेश के कंडिका 2 का भी उल्लेख किया है, जो डाक महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था, और जिसमें इस प्रकार कहा गया है:—

“ई.डी. बी.पी.एम./ई.डी. एस.पी.एम. के चयन के लिए निर्णायक कारक आय एवं संपत्ति होना चाहिए, न कि अंक। इस विषय की गहराई से जाँच की गई है, परंतु इस दृष्टिकोण से सहमति नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे संपत्ति के स्वामित्व एवं आय अर्जन के आधार पर प्रतिस्पर्धा का तत्व प्रवेश करेगा, जिससे ई.डी. एजेंटों के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करने में विकृति उत्पन्न होगी। वित्तीय स्थिति का प्रमाण न केवल हेरफेर के अधीन है, बल्कि यह योग्यता का निर्धारक भी नहीं है। जब भारत का संविधान सभी को उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करता है, तब युक्तिसंगत मार्ग यह होगा कि ई.डी. सेवा उस व्यक्ति को प्रदान की जाए जिसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हों, जिससे वह नियुक्ति के लिए पात्र बना हो, बशर्ते अभ्यर्थी के पास संपत्ति एवं आय का न्यूनतम निर्धारित स्तर हो, ताकि उसके पास ई.डी. भत्ते के अतिरिक्त आजीविका के पर्याप्त साधन हों।”

जहाँ तक अपीलकर्ता की लगभग आठ वर्षों की सेवा अवधि के दौरान उसकी नियुक्ति एवं निरंतरता का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाता संख्या 6 ने अपीलकर्ता के

पक्ष में आदेश पारित होने के तुरंत पश्चात अपनी शिकायत के निवारण हेतु सक्षम अधिकरण का रुख किया था। यह मात्र इसलिए हुआ कि अधिकरण के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के कारण उत्तरदाता संख्या 6 को अपना मामला शीघ्र निर्णीत कराने का अवसर नहीं मिल सका। अतः उत्तरदाता संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह उचित रूप से प्रस्तुत किया कि उक्त तथ्य के कारण उसे कोई प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने समय पर अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। हमारे मत में, अधिकरण ने समग्रता में प्रकरण पर विचार करते हुए तथा यह टिप्पणी करते हुए कि यदि अन्यथा उपयुक्त पाया जाए तो अपीलकर्ता के मामले पर निकटवर्ती क्षेत्र में ई.डी.बी.पी.एम. के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, सही किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि रेखा चतुर्वेदी के निर्णय पर निर्भर करते हुए, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उस मामले में इस न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को विधिसम्मत मानते हुए हस्तक्षेप नहीं किया तथा केवल इस आधार पर कि प्रकरण आठ वर्ष पश्चात सुना गया, अवैध नियुक्ति को निरस्त करने से इंकार कर दिया। किन्तु वर्तमान प्रकरण में, उत्तरदाता संख्या 6 ने तत्काल अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। अधिकरण ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए उत्तरदाता संख्या 6 को राहत प्रदान की। साथ ही, यह भी उपयुक्त टिप्पणियाँ की गईं कि यदि संभव हो तो वर्तमान अपीलकर्ता को समायोजित किया जा सके। उक्त आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई। अतः हम उक्त निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त कारणों से, यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त की जाती है। तथापि, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

अपील निरस्त।

वी.एस.एस.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।